न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024 / 351
मुकदमा नम्बर 121 / 2024 दर्ज दिनांक– 10.07.2024

1. भगवती देवी पत्नी मनोहरलाल
2. सुनिता पुत्री मनोहरलाल
3. विनोद कुमार पुत्र मनोहरलाल
4. प्रमोद कुमार पुत्र मनोहरलाल
5. राकेश कुमार पुत्र मनोहरलाल
6. अशोक कुमार पुत्र मनोहरलाल, समस्त जाति माली निवासी ग्राम फुलेरावनगर, सैनी नगर, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री विप्लव पण्डित
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 16.07.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, राजस्व ग्राम फुलेराव नगर की सरहद में भूमि खसरा नं. 82 रकबा 1.25 है0, खसरा नं. 83 रकबा 0.73 है0, खसरा नं. 144 रकबा 1.20 है0 के राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/7 सुरेश कुमार, हिस्सा 6/7 प्रार्थीगण के पिता मनोहरलाल के नाम दुरूस्त करने हेतु आदेश जारी किया जावें अर्थात सेग्रीगेशन से पूर्ववर्ती राजस्व रिकार्ड के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने हेतु अप्रार्थी को आदेशित करने की कृपा करे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./21/6015 दिनांक 16.01.2025 पेश हुई, जिसके अनुसार सेग्रीगेशन मे अंकन गलत होना पाया गया है जिसे दुरूस्त किया जाना है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./21/6015 दिनांक 16.01.2025 आवेदक का प्रा. पत्र साबित पाया जाता है।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम फुलेराव नगर की सरहद में भूमि खसरा नं. 82 रकबा 1.25 है0, खसरा नं. 83 रकबा 0.73 है0, खसरा नं. 144 रकबा 1.20 है0 के राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/7 सुरेश कुमार, हिस्सा 6/7 प्रार्थीगण के पिता मनोहरलाल के नाम दुरूस्त करने हेतु अर्थात सेग्रीगेशन से पूर्ववर्ती राजस्व रिकार्ड के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./21/6015 दिनांक 16.01.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुंनू

20/2/25

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

राजस्थान सरकार

"बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ"

कार्यालय तहसीलदार नवलगढ़ (झुंझुनूं)

झलको झुंझुनूं
" स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम"

ई – मेल – tdr.nwh@gmail.com
फोन नं. 01594.224132

क्रमांक / भू0अ0 / 21 / 6010 दिनांक 16-1-25

निमित :– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
नवलगढ़ ।

Rev.
21.1.2025

विषय :– उनवानी प्रकरण भगवती देवी बनाम तहसीलदार नवलगढ़ मु0न0 121 / 2024 में तथ्यात्मक रिपोर्ट बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक पत्र के संबन्ध में निवेदन है कि उनवानी प्रकरण भगवती देवी बनाम तहसीलदार नवलगढ़ मु0न0 121 / 2024 में आप द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहे जाने पर हल्का पटवारी बड़वासी की जाँच के अनुसार " जमाबन्दी 2075–78 में ग्राम फूलेरावनगर के भूमि खसरा नं0 82,83 व 144 कुल किता 3 कुल रकबा 3.18है. में नाथाराम पुत्र उदाराम कोम माली रिकार्ड दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2066–69 में ख.न. 82,83 व 144 की खातेदारी नाथाराम पुत्र उदाराम जाति माली के नाम दर्ज थी किन्तु नामान्तरकरण सं. 183 द्वारा खातेदारी सुरेश कुमार पुत्र मनोहरलाल हि.1 / 7 मनोहरलाल पुत्र नारायण हि. 6 / 7 कौम माली होने का नोट दर्ज है। जमाबन्दी 2075–78 में भी खातेदारी सुरेश कुमार पुत्र मनोहरलाल हि.1 / 7 मनोहरलाल पुत्र नारायण हि.6 / 7 कौम माली का इन्द्राज आना चाहिये था किन्तु जमाबन्दी सेग्रीगेशन में नाथाराम पुत्र उदाराम कोम माली ही दर्ज हो गया।" पटवारी जाँच रिपोर्ट संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवामें अग्रीम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू0अ0)नवलगढ
तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,

नवलगढ़

14/8/24

विषय :- उनवानी प्रकरण भगवती देवी बनाम तहसीलदार नवलगढ़ मुकदमा नम्बर 12/2024 अ० धा० 136 में तथ्यात्मक रिपोर्ट बाबत् ।

महोदय

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम कुलेराव नगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 के खाता स. 19 में स्थित ख.न. 82,83,154 रकबा क्रमशः 1.25 है., 0.73 है., 1.20 है. की खातेदारी नाथाराम पु. उदाराम कौम माली सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय नवलगढ़ के निर्णय व आदेश क्रमांक राजस्व/17/465 दिनांक 11/09/2017 मु.न. 36/2017 दिनांक 05/07/2017 व श्रीमान तहसीलदार महोदय नवलगढ़ के आदेश क्रमांक भू.अ./2343/ दिनांक 11/9/17 की पालना में ना.स. 183 द्वारा ख.न. 82,83,154 रकबा क्रमशः 1.25 है. 0.73 है. 1.20 है. कुल किता-3 रकबा 3.18 है. की खातेदारी सुरेश कुमार पु. मनोहरलाल हि. ~~क~~ मनोहरलाल पु. नारायण हि. 6/7 कौम माली सा. देह खातेदार के नाम दर्ज हुई थी। जिसका नोट जमाबन्दी सम्वत 2066-69 के खा.न. 19 में लगा हुआ है।
सग्रीगेशन के दौरान ख.न. 82,83,154 की खातेदारी नाथाराम पु. उदाराम के वारिसान के नाम दर्ज हो गयी।
अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

संलग्न :-

1. जमाबन्दी सम्वत 2066-69
2. नामान्तरण संख्या 183

सुशील
12/8/24
पटवारी ब3.वाली